नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या 1348
गुरुवार, 9 फरवरी, 2023/20 माघ, 1944 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

उड़ानों के भीतर आपराधिक प्रवृत्ति में वृद्धि

1348. श्री फ्रांसिस्को सर्दिन्हा:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में उड़ानों के भीतर हिंसा और शिष्टता के उल्लंघन के मामलों में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या है,

(ख) वर्ष 2022 के दौरान उड़ानों के भीतर अपराध के कितने मामले सामने आये;

(ग) क्या विगत वर्षों की अपेक्षा उड़ानों के भीतर आपराधिक प्रवृत्ति में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का अपराधियों को स्थायी रूप से प्रतिबंधित करने के लिए नियमों में संशोधन करने का विचार है और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (डा.) विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त))

(क) से (घ): नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने सितंबर 2017 में "उग्र/बाधाकारी यात्रियों से निपटना" शीर्षक के नाम से नागर विमानन अपेक्षाएँ (सीएआर), धारा 3 - हवाई परिवहन, शृंखला ड, भाग VI जारी किया है। सीएआर को उग्र/बाधाकारी यात्रियों को संभालने से संबंधित मुद्दे से निपटने के लिए उपाय के रूप में अधिसूचित किया गया था, जो फ्लाइट क्रू, केबिन क्रू तथा ग्राउंड स्टाफ को सॉफ्ट स्किल के प्रशिक्षण के माध्यम से गंभीर स्थिति का पता लगाने, निवारण करने तथा रोकने के अलावा, उग्र यात्रियों को संभालने तथा ऐसे घटनाओं का पूर्वानुमान लगाने का उपाय भी प्रदान करती है। इस सीएआर में, ऐसे कार्यकारी कर्मियों को, झगड़े तथा उसके परिणाम, लंबी प्रतीक्षा लाइनों के कारण उत्पन्न होने वाली स्थिति का शमन करने के तरीके/साधन, उड़ान को ओवरबुक किए जाने, देरी एवं डायवर्जन/रद्दीकरण के साथ-साथ जानकारी की कमी इत्यादि से निपटने के लिए प्रशिक्षण का प्रावधान भी किया गया है।

"उग्र/बाधाकारी यात्रियों को निपटना" शीर्षक वाले नागर विमानन अपेक्षाएँ (सीएआर), धारा 3 - हवाई परिवहन, श्रृंखला ड, भाग VI के अनुसार गठित एयरलाइन की आंतरिक समिति द्वारा वर्ष 2022 के दौरान अनुशंसित कुल 63 यात्रियों को "नो फ्लाई लिस्ट" में रखा गया है।

"नो फ्लाई लिस्ट" में अधिकांश यात्रियों को, मास्क नहीं पहनने या क्रू के सदस्यों के निदेशों का पालन न करने से संबंधित उल्लंघन के लिए रखा गया था।

****